07.12.2017

प्रार्थनापत्र अभियोजन 34ब का निस्तारण

वादी राजपाल सिंह की तरफ से अभियोजन द्वारा 34ब प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण अमरसिंह, ध्यानपाल, पुत्रगण पन्नालाल, राकेश कुमार व हरेन्द्र पुत्रगण अमरसिंह, सचिन उर्फ सीटू पुत्र ध्यानपाल, नरेन्द्रकुमार पुत्र नेमसिंह व महीपाल पुत्र लालाराम के विरूद्ध लिखायी गयी थी, क्योंकि घटना उपरोक्त सभी अभियुक्तगण ने कारित की थी, लेकिन विवेचक द्वारा साक्ष्य होते हुये भी केवल अमरसिंह, ध्यानपाल व हरेन्द्र के विरूद्ध ही आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है, एवं अभियुक्तगण से मिलकर राकेश, सचिन उर्फ सीटू, नरेन्द्र व महीपाल के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित नहीं किया। यह कि, सत्र परीक्षण में पी0डब्लू0–1 प्रार्थी राजपाल, पी0डब्लू0–2 किशोरीलाल, पी0डब्लू0–3 हरिओम के बयान हो चुके हैं। तीनों ही चुटैल साक्षी हैं। इन गवाहान ने अमरसिंह, ध्यानपाल, हरिओम के साथ–साथ, घटना कारित करने में राकेश, सचिन उर्फ सीटू, नरेन्द्र व महीपाल के नाम लिये हैं। अतः इन अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त साक्ष्य है। अतः राकेश, सचिन उर्फ सीटू, नरेन्द्र व महीपाल को धारा 319 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत आहूत किया जाये।

अभियोजन की ओर से निम्नलिखित विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी हैंः–

1. 2017 (1) जे.सीआर.सी. 14, इलाहाबाद हाईकोर्ट, अजहर प्रति स्टेट ऑफ यू0पी0 तथा अन्य।

2. 2014(1) जे.आई.सी. 539,(एस.सी.) सुप्रीम कोर्ट, हरदीपसिंह प्रति पंजाब राज्य आदि, मनजीतपाल सिंह आदि प्रति पंजाब राज्य आदि, बाबूभाई भीमभाई बुखीरा आदि प्रति गुजरात राज्य तथा आदि राजेन्द्र शर्मा आदि प्रति म.प्र. राज्य आदि, रवीन्द्र कुमार आदि प्रति हरियाणा राज्य आदि, तेजपाल आदि प्रति हरियाणा राज्य आदि, जोनेध पहलवान प्रति उ0प्र0 राज्य, राजेश उर्फ संजय तथा अन्य प्रति उ0प्र0 राज्य आदि, रामधन माली आदि प्रति राजस्थान राज्य आदि, व तेजसिंह प्रति उ0प्र0 राज्य आदि।

मैंने अभियोजन को सुना है, एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि, घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी राजपाल (अ0सा0–1) द्वारा अभियुक्तगण अमरसिंह, ध्यानपाल, पुत्रगण पन्नालाल, राकेश कुमार व हरेन्द्र पुत्रगण अमरसिंह, सचिन उर्फ सीटू पुत्र ध्यानपाल, नरेन्द्रकुमार पुत्र नेमसिंह व महीपाल पुत्र लालाराम के विरूद्ध थाना अवागढ़ में अ0सं0 283ए/2009, धारा 147, 323, 504, व 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दर्ज करायी गयी है, जिसमें यह तथ्य अभिकथित है कि, प्रार्थी राजपाल पुत्र दयाराम निवासी न0 डरू, थाना अवागढ़, एटा. का निवासी

है। दिनांक 18.06.2009 को शाम 6.00 बजे के करीब प्रार्थी अपने घर पर था, तथा प्रार्थी के पुत्र एवं भतीजे घर पर थे तभी प्रार्थी के गांव के अमरसिंह, ध्यानपाल पुत्रगण पन्नालाल, राकेश कुमार, हरेन्द्र कुमार पुत्रगण अमरसिंह, सचिन उर्फ सीटू पुत्र ध्यानपाल, नरेन्द्र कुमार पुत्र नेमसिंह, महीपाल पुत्र लालाराम जिनमें अमरसिंह व ध्यानपाल, राकेश के हाथों में लाठी डंडे थे, जबकि हरेन्द्र, सचिन व नरेन्द्रकुमार व महीपाल के हाथों में दरांती व खुर्पी थी। प्रार्थी को गालियां देने लगे और कहा साले तुझे सब हमारे नाम ट्रांसफारमर तोड़ने का झूठा इल्जाम लगाते हो, तुम्हें हम जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। प्रार्थी एवं प्रार्थी के पुत्रों तथा भतीजों ने विरोध किया तो उक्त सभी लोगों ने जान से मारने की नीयत से प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्रों व भतीजों को मारना पीटना शुरू कर दिया। प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्रों व भतीजों को उक्त लोगों की काफी खुशामद की और अपना बचाव किया। उक्त लोगों की मारपीट से प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्र सुरेन्द्र व भतीजे किशोरीलाल पुत्र गेंदालाल, हरिओम पुत्र महावीर के काफी गंभीर चोटें आयीं हैं। प्रार्थी घटना की रिपोर्ट थाने करने गया तो प्रार्थी की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और न हीं घायलों का डाक्टरी मुआयना कराया गयां प्रार्थी एवं घायल किसी तरह बचते बचाते एटा आये हैं और श्रीमानजी को रिपोर्ट दे रहे हैं। उक्त घटना के समय बबलू पुत्र राजपाल, मोहनलाल पुत्र चोखेलाल, लाखन पुत्र नन्दराम मौजूद थे इन्होंने हम लोगों को बचाया।

विवेचक द्वारा घटना की विवेचना करके केवल अभियुक्तगण अमरसिंह, ध्यानपाल व हरेन्द्रसिंह के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 व 325 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया है, जिस पर सिविल जज, जू0डि0/जे0एम0, जलेसर, एटा. द्वारा संज्ञान लिया गया, तथा अ0सं0 283/2009, धारा 147, 323, 308, 504 व 506 भा0दं0सं0, थाना अवागढ़, जिला एटा. का कॉस केस मानते हुये, इस केस को भी सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया जहां से अंतरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

अभियुक्तगण अमरसिंह, ध्यानपाल व हरेन्द्र सिंह ने घ ाारा 323, 504, 506, व 325 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दोषी होने के अभिवाक से इंकार किया गया एवं परीक्षण की मांग की गयी है।

अभियोजन द्वारा पी0डब्लू0–1 राजपाल सिंह, पी0डब्लू0–2 किशोरीलाल, एवं पी0डब्लू0–3 हरिओम को परीक्षित कराया गया है, उसके पश्चात अभियोजन द्वारा प्रार्थनापत्र 34ब प्रस्तुत किया गया है।

पी0डब्लू0–1 राजपाल सिंह चुटैल ने अपनी मुख्यपृच्छा में कथन किया है कि, आज से करीब साढ़े छः साल पहले शाम के 6 बजे का समय था। मैं अपने घर पर अपने पुत्र सुरेन्द्र, किशोरीलाल व हरिओम के साथ घर पर बैठे थे तभी

गांव के अमरसिंह, ध्यानपाल, राकेश कुमार, हरेन्द्र कुमार, सचिन उर्फ सीटू, नरेन्द्र कुमार, महीपाल आये। अमरसिंह, ध्यानपाल, राकेश के हाथों में लाठी डंडे थे। हरेन्द्र, सचिन व नरेन्द्रकुमार, महीपाल के हाथों में दरांती व खुरपी थी। ये लोग हमें गाली देने लगे, कहने लगे, साले तूने ट्ांसफारमर तोड़ने का झूठा इल्जाम लगाते हो, आज तुमको जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। तभी मेरे लड़के व मैंने व मेरे भतीजे ने विरोध किया। तभी उक्त लोगों ने जान से मारने की नीयत से मुझे व मेरे लड़कों व भतीजों को मारने पीटने लगे। हम लोगों ने उपरोक्त लोगों से काफी खुशामद की और कहा कि, ट्ांसफार्मर न तोड़ो तभी हम लोगों को मारा पीटा (लाठी डंडों व दरांती व खुरपी से मारा पीटा) मेरे लड़के सुरेन्द्र व भतीजे किशोरीलाल, हरिओम को काफी चोटें आयीं। रिपोर्ट करने थाने अवागढ गये तो वहां कोई रिपोढ नहीं लिखी और ना हीं पुलिस ने डाक्टरी मुआयना किया और इस घटना को गांव के बबलू पुत्र राजपाल, मोहनलाल पुत्र चोखेलाल, लाखन पुत्र नंदराम जो घटना देखी व हम लोगों को बचाया, उसके कई दिन बाद एआ कचहरी पर आये, वकील साहब को सारी घटना के सम्बन्ध में बात बतायी उन्होंने एस0एस0पी0 एटा महोदय को सम्बोधित करते हुये प्रार्थनापत्र टाइप कराया। टाइप करने पर वकील साहब मुझे पढ़कर सुनाया जो मैंने बोला वही टाइप किया था। टाइप प्रार्थनापत्र मेरे हस्ताक्षर कराये थे। गवाह को टाइपशुदा प्रार्थनापत्र पत्रावली पर मौजूद कागज सं0 5अ संलग्न पढ़कर सुनाया। अपने द्वारा वकील साहब को लिखाना जिस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करना, टाइपशुदा प्रार्थनापत्र पर प्रदर्श क–1 डाला गया जिस पर एस0एस0पी0 एटा ने थानाध्यक्ष अवागढ़ के लिये डाक्टरी व रिपोर्ट करने के लिये आदेश किया था। उसी दिन थाना अवागढ़ जाकर एस0एस0पी0 एटा का आदेश दाखिल किया था जिसके अनुसार हम चारों चुटैलों को थाना ने डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल में कराया। अवागढ़ में। सुरेन्द्र व किशोरीलाल का एक्सरे सरकारी अस्पताल एटा. में हुआ था उसके बाद रिपोर्ट लिखने के बाद दरोगाजी मेरा बयान लिया था।

अतः इस साक्षी ने अभियुक्तगण अमरसिंह, ध्यानपाल, हरेन्द्र के अलावा अभियुक्तगण राकेश, सचिन उर्फ सीटू, नरेन्द्र एवं महीपाल द्वारा भी घटना कारित किये जाने का कथन किया है।

पी0डब्लू0–2 किशोरीलाल ने अपनी मुख्यपृच्छा में कहा है कि, घटना 18.06.2009 समय शाम 6 बजे का समय था मैं और चचेरा भाई सुरेन्द्र व हरिओम अपने ताउ राजपाल के घर पर था तभी गांव के अमरसिंह, ध्यानपाल पुत्र पन्नालाल, राकेश पुत्र अमरसिंह, इनके हाथों में लाठी डंडे थे। हरेन्द्र पुत्र अमरसिंह, सचिन उर्फ सीटू पुत्र ध्यानपाल,

नरेन्द्र पुत्र नेमसिंह, महीपाल पुत्र लालाराम, इन लोगों के हाथों में दरांती व खुरपी था, हम लोगों से कहने लगे ट्रांसफारमर तोड़ने का हम लोगों पर झूँठा आरोप लगाने लगे और हम लोगों से गाली गलौज करने लगे। हम लोग विरोध किया तो हम लोगों को मारपीट करने लगे। उपरोक्त मुल्जिमान लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। दरांती व खुरपी से मारपीट करने लगे। हम लोगों ने काफी खुशामद किया और बचाव किया।

पी0डब्लू0—3 हरिओम ने अपनी मुख्यपृच्छा में कथन किया है कि, दिनांक 18.06.2009 को सांय करीब 6 बजे मैं अपने ताउ के यहां अपने चचेरे तहेरे भाई सुरेन्द्र व किशोरीलाल के साथ राजपाल सिंह के घर पर था, उसी समय हमारे गांव के अमरसिंह, ध्यानपाल, राकेश, हरेन्द्र, सचिन उर्फ सीटू, नरेन्द्र व महीपाल अपने अपने हाथों में में लाठी, डंडे, खुरपी व दरांती लेकर हम लोगों को गालियां देने लगे कि, साले तुम लोगों ने हमारे उपर ट्रांसफार्मर तोडने का झूँठा इल्जाम लगाते हो, हम तुम्हें आज जिन्दा नहीं छोड़ेंगे । इस पर मैंने, सुरेन्द्र, किशोरीलाल व राजपाल सिंह ने गाली देने का विरोध किया तो उपरोक्त सभी लोगों ने हम लोगों की मारपीट शुरू कर दी और मारपीट से मैं, सुरेन्द्र, किशोरी लाल व मेरे चाचा राजपाल घायल हो गये। मौके पर हम लोगों की चीख पुकार सुनकर बबलू, मोहन लाल, लाखन आदि बहुत से लोग आ गये, जिन लोगों ने हमें आकर बचाया।

उपरोक्त दोनों गवाहों ने भी अभियुक्तगण राकेश, सचिन उर्फ सीटू, नरेन्द्र व महीपाल की घटना कारित किये जाने में संलिप्तता का बयान दिया है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय आख्या व अन्य साक्ष्य सामग्री तथा पी0डब्लू0—1 राजपाल, पी0डब्लू0—2 किशोरीलाल, एवं पी0डब्लू0—3 हरिओम के बयानों को विचार में लेने के उपरांत अभियुक्तगण राकेश, सचिन उर्फ सीटू, नरेन्द्र व महीपाल के विरूद्ध धारा 323, 504, 506, व 325 भा0दं0सं0 का आरोप लगाये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधार पर्याप्त एवं उचित हैं, एवं स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>—:आदेश:—</u>

प्रार्थनापत्र 34ब स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार अभियुक्तगण राकेश, सचिन उर्फ सीटू, नरेन्द्र व महीपाल को धारा 323, 504, 506, व 325 भा0दं0सं0 के अपराध के विचारण हेतु जरिये सम्मन आहूत किया जाता है।

पत्रावली दिनांक 27.01.2018 को हाजिरी हेतु पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं01, एटा।